झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्,
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड,सेक्टर-3,
धुर्वा, राँची - 834 004
दूरभाष - 0651-2444501, 2444502, फैक्स - 2444506
ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

An ISO 9001:2015 certified

पत्रांकः JEPC/CIV/03/730/2022...3204 दिनांक : 30/08/2024

प्रेषक,

आदित्य रंजन, भा.प्र.से.
राज्य परियोजना निदेशक।

सेवा में,

सभी उपायुक्त, झारखण्ड।
सभी उप-विकास आयुक्त, झारखण्ड।

विषयः दिनांक 01-15 सितंबर, 2024 के दौरान ''स्वच्छता पखवाड़ा'' कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः भारत सरकार का पत्रांक D.O.No.F.18--1/2022-IS-6 दिनांक 26.05.2022

महाशया/महाशय,

प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी विद्यालय में स्वच्छता पाखवाड़ा मानाया जाना है। इस अभियान में विद्यालय के सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है साथ ही ग्राम पंचायत के सदस्य, विद्यालय प्रबंध समिति, शिक्षकगण, बाल संसद, अभिभावक, माता समिति के सदस्यों आदि को भी कार्यक्रम से जोड़ना है।

2. स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन दिनांक 01-15.09.24 तक किया जाना है। इस कार्यक्रम में सभी विद्यालय भाग लेंगे। इस वर्ष अन्य गतिविधियों के अलावा पर्यावरण संरक्षण, बाल संसद, इको क्लब, जल शक्ति अभियान एवं किशोरी छात्राओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही ऐसी गतिविधियों की जानी है, जिससे छात्र-छात्राओं के व्यवहार में स्वच्छता के प्रति परिवर्तन आए। इस कार्य से हमारे विद्यालयों को तीन प्रकार का लाभ मिल सकेगाः-

   i. विद्यालय में बच्चों के ठहराव में वृद्धि होगी।
   ii. बच्चे शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणीक स्तर पर अधिक प्रभावशाली बनेंगे। बाल संसद के माध्यम से उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास होगा।
   iii. विद्यालयों के आकर्षक, सुसज्जित, स्वच्छ एवं अनुकूल वातावरण के कारण बच्चों के उपलब्धि स्तर में वृद्धि होगी।

3. स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान सभी विद्यालय निम्लिखित गतिविधियाँ करना सुनिश्चित करेंगे :-

- जिला स्तर पर ''स्वच्छता पखवाड़ा'' अभियान का शुभारंभ किसी एक विद्यालय से किया जाय। कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु दूरदर्शन, रेडियो, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तथा अन्य संचार साधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।
- अभियान की सफलता हेतु सभी शिक्षकों को संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाने हेतु उन्मुखीकरण किया जाए। प्रत्येक शिक्षक अपने विद्यालय में स्वच्छता सुविधाओं की समीक्षा करेंगे । यदि आवश्यक हो, तो गुणवत्ता युक्त पेयजल की व्यवस्था, पेयजल स्रोत की जांच, शौचालय की साफ-सफाई की व्यवस्था, अन्य स्वच्छता सुविधाओं की मरम्मत और रखरखाव के लिए संबंधित मुखियाजी को प्रस्ताव/योजना बनाकर उपलब्ध कराएँगे ताकि 15वें वित्त आयोग की राशि से सुधारात्मक कार्य किया जा सके।
- विशेष गुरुगोष्ठी का आयोजन कर ''स्वच्छता पखवाड़ा'' अभियान के संबंध में सभी संबंधितों को विस्तृत जानकारी दी जाए।

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,
धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष - 0651-2444501, 2444502, फैक्स – 2444506
ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

An ISO 9001:2015 certified

- पखवाड़ा के पहले कार्य दिवस में दिनांक 01 सितम्बर, 2024 को सभी विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में **''स्वच्छता शपथ''** का आयोजन किया जाए, जहां सभी बच्चे, शिक्षक एवं अन्य सम्बंधित भाग लेंगें। स्वच्छता शपथ का प्रारूप पत्र के साथ सलग्न है।
- विद्यालय, शिक्षकों, बाल संसद, विद्यालय प्रबंध समिति आदि के बीच स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देने, अच्छी प्रथाओं को जारी रखने, प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए पखवाड़ा के पहले सप्ताह में विद्यालय प्रबंध समिति/माता-पिता और शिक्षकों के बीच बैठक आयोजित किया जाए। सभी विद्यालय प्रबंध समिति अपनी बैठकों के एजेंडे में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को आवश्यक रूप से शामिल करेंगे।

4. पखवाड़ा के दौरान प्रत्येक विद्यालय प्रतिदिन पाठचर्या में शामिल **शुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी विषयों पर शिक्षकों द्वारा व्याख्यान किया जाय।**
5. स्वच्छता पर अधिक बल देने के लिए मेधावी एवं अन्य क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले बच्चों को **स्वच्छता राजदूत** मनोनीत किया जाय।
6. जिला शिक्षा पदाधिकारी इस पत्र की प्रति सभी निजी विद्यालयों को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे एवं बैठक कर उन्हें कार्यक्रम का हिस्सा बनाने हेतु प्रेरित करेंगे।
7. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों/राष्ट्रिय-अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें भी इस कार्यक्रम में भाग लेने एवं सहयोग लेने हेतु प्रेरित करेंगे।
8. उपायुक्त की अध्यक्षता में सभी सम्बंधित विभागों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पुरे कार्यक्रम की रणनीति पूर्व में ही तैयार कर ली जाय।
9. **स्वच्छता पखवाडा के दौरान प्रतिदिन की जानेवाली गतिविधियों की तिथिवार सूची एवं रिपोर्टिंग हेतु प्रपत्र पत्र के साथ संलग्न है।**

प्रत्येक जिला के नोडल अधिकारी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे। सम्बंधित जिला के सहायक अभियंता एवं जिला PMU Cell रिपोर्टिंग में सहयोग करेंगे।

अतः सभी नोडल पदाधिकारी समेकित वांक्षित सूचनाएँ प्रतिदिन अपराह्न 5.00 बजे तक jharkhand.eco@gmail.com पर अवश्य उपलब्ध कराएँगे। **इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय पेंटिंग एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता की 03 श्रेष्ठ उच्च कोटि की पेंटिंग एवं निबंध लेखन का दिनांक 18.09.24 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।** यदि किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो श्री गौरव वर्मा (9431491403), राज्य समन्वक, यूनिसेफ या श्री रविशंकर (8102712079), प्रोजेक्ट मैनेजर, State PMU Cell से संपर्क किया जा सकता है। अनुश्रवण के क्रम में राज्य स्तर से VSK से सदस्यों द्वारा आपसे समय-समय पर संपर्क किया जाएगा।

रेपोर्टिंग के लिए google sheet का link निम्न प्रकार हैः-

1. स्वच्छता पखवाड़ा गूगल ट्रैकर लिंकः

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hLChQ7-xh6Pl95h1lhHlatjOL854OmjbyDl-UeYEeK0/edit?usp=sharing

स्वच्छता पखवाड़ा गूगल फोल्डर लिंकः

https://drive.google.com/drive/folders/1cFRj52BQVx2LEegzfeAtkvnWaYVpzTQe?usp=drive_link

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्,
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड,सेक्टर-3,
धुर्वा, राँची - 834 004
दूरभाष - 0651-2444501, 2444502, फैक्स - 2444506
ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

An ISO 9001:2015 certified

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा, विद्यालयों को इस प्रकार टैगिंग करेंगे ताकि सभी विद्यालयों में अभियान के दौरान अनुश्रवण किया जा सके।

अनुलग्नक : यथोक्त

विश्वासभाजन

(आदित्य रंजन)
राज्य परियोजना निदेशक।

ज्ञापांकः JEPC/CIV/03/730/2022........3204 दिनांक 30.08.2024

प्रतिलिपि :

1. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ समर्पित।
2. प्रभारी सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ समर्पित।
3. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ समर्पित।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, झारखण्ड/निदेशक, जे.सी.ई.आर.टी. को सूचनार्थ प्रेषित ।
5. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय विभागीय मंत्री के सूचनार्थ प्रेषित।
6. राज्य प्रमुख/ जल एवं स्वच्छता विशेषज्ञ/ जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम पदाधिकारी, यूनिसेफ, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
7. सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक /सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. Nodal, VSK को सूचनार्थ प्रेषित, सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों के साथ संवाद बनाते हुए ससमय सूचना google tracker पर अपलोड करवाना सुनिशित करेंगे।

(आदित्य रंजन)
राज्य परियोजना निदेशक।